<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 36 / 2019

1 सरदार खां पुत्र मरहूम दीने खां।
2 उम्मेद खां पुत्र मरहूम दीने खां।
3 लल्लू खां पुत्र मरहूम दीने खां।
4 मुंशी खां पुत्र मरहूम दीने खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम श्यामगढ़ तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इकबाल खां पुत्र मरहूम दीने खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम श्यामगढ़ तहसील व जिला सीकर।
2 उप पंजियक अधिकारी सीकर जिला सीकर।
3 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21.06.2019 दावा बउनवानी सरदार खां बनाम इकबाल खां आदि मुकदमा नम्बर 150 / 2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित आदेश 41 नियम 1 सीपीसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2010 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय एस.डी.ओ. सीकर में सन् 2010 में एक दावा उनवानी सरदार खां आदि बनाम इकबाल खां आदि बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम श्यामगढ़ पटवार हल्का श्यामगढ़, गिरदावर हल्का सीकर तहसील व जिला सीकर में कृषि आराजी खसरा नम्बर 611/1042 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.91 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 625/1091 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा थे। उक्त आराजीयात को दिनांक 04.05.1978 को वादीगण के पिता दीने खां ने पूर्व खातेदार नानगा पुत्र श्योनाथ गुर्जर से 4000/—रूपये के प्रतिफल में कय की थी तथा उक्त प्रतिफल की राशि 4000/— रूपये वादीगण के पिता दीने खां के द्वारा संयुक्त परिवार की आय से अदा की गयी थी तत्समय वादीगण संख्या 1 व 2 अन्यत्र नौकरी में होने के कारण तथा वादी संख्या 3 व 4 छोटे होने के कारण विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम से पंजीकृत करवा दिया गया परन्तु उक्त आराजी पैतृक मान्य कर सभी भाईयों का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिस्सा बराबर बराबर अर्थात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1/5,1/5 मान्य किया गया। चूंकि खातेदारी विक्रय पत्र के आधार पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से तथा उसके मन में बेईमानी आने से वादीगण के द्वारा अपने 4/5 हिस्से की उद्घोषणा हेतु विचारण न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। मौके पर विवादित आराजीयात पर जमीन क्रय करने के दिन से ही 4/5 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर वाद पेश करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त आराजीयात उसकी स्वार्जित है तथा पैतृक संपत्ति नहीं है इसलिए वादीगण का दावा खारिज किया जावे तथा वादीगण को पाबन्द करते हुए काउन्टर वाद मंजुर किया जावें तथा इसी दौरान उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए ही दिनांक 20.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वादीगण का वाद निरस्ती करने बाबत पेश किया गया जिसका वादीगण द्वारा जरिये वकील यथोचित जवाब पेश किया गया तथा बाद समाहत बहस दिनांक 21.06.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा बिना कानूनी आज्ञापक प्रावधानो का अवलोकन किये मनमाने निष्कर्ष निकालते हुए उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मंजूर करते हुए वादीगण का वाद दिनांक 21.06.2019 को निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से खरीदी गई थी। जिसका विक्रय पत्र एक ही भाई के नाम करवा दिया था जबकि मौके पर पांचो भाई काबिज काश्त है। इस बिन्दु का निर्धारण विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई किया जाना था। अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित नही था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.05.2018 को ग्राम श्यामगढ़ तहसील सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 620,625/2091,611/20142 कुल किता 3 रकबा 1.28 हैक्टेयर है। वादास्पद भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वअर्जित है कभी भी पैतृक भूमि नही रही है तथा उक्त भूमि न ही परिवार की आय से क्रय की है। दावा वाद कारण के अभाव मे प्रस्तुत किया गया है तथा न ही वादीगण विवादित भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है तथा Barred by Law है इसलिए दावा चलने योग्य नही है। वाद के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम श्यामगढ़ में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली पर प्रस्तुत फोटो प्रति विक्रय पत्र 04.05. 1978 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नानगाराम पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी श्यामगढ़ द्वारा इकबाल खां पुत्र दीने खां को प्रतिफल देकर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। अपीलांट द्वारा जिस अपंजिकृत लिखावट का तर्क दिया जा रहा है। उस लिखावट पर भी खातेदार के हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.05.2018 को ग्राम श्यामगढ़ तहसील सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 620,625/2091, 611/20142 कुल किता 3 रकबा 1.28 हैक्टेयर है। वादास्पद भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वअर्जित है कभी भी पैतृक भूमि नही रही है तथा उक्त भूमि न ही परिवार की आय से क्रय की है। दावा वाद कारण के अभाव मे प्रस्तुत किया गया है तथा न ही वादीगण विवादित भूमि का बंटवारा करवाने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी है तथा Barred by Law है इसलिए दावा चलने योग्य नही है। वाद के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम श्यामगढ़ में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली पर प्रस्तुत फोटो प्रति विक्रय पत्र 04.05.1978 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नानगाराम पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी श्यामगढ़ द्वारा इकबाल खां पुत्र दीने खां को प्रतिफल देकर कय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। अपीलांट द्वारा जिस अपंजिकृत लिखावट का तर्क दिया जा रहा है। उस लिखावट पर भी खातेदार के हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *